

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्रमांक :- 677/14)

(संस्थित दिनांक :- 28/07/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. रामज्ञान जाटव पुत्र नादरी जाटव, उम्र 48 वर्ष।

निवासी :- समता नगर मालनपुर, थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

### // निर्णय //

(आज दिनांक :- 19/02/2018 को घोषित)

01. आरोपी रामज्ञान पर धारा : 279, 337 "02 काउण्ट", 338 "02 काउण्ट" एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 29/03/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे हरीराम की कुईयों चौराहा के आगे भिण्ड की ओर भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर अतुल एवं नबाव सिंह को टक्कर मारकर उपहति एवं फरियादी संतोष एवं हरविन्दर उर्फ हरेन्द्र को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं मृतक लालू बघेल एवं सुनील बघेल को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 29/03/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे हरीराम की कुईयों चौराहा के आगे भिण्ड की ओर भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी संतोष, हरविन्दर उर्फ हरेन्द्र, अतुल एवं नबाव सिंह को टक्कर मारकर उपहति एवं मृतकगण लालू बघेल एवं सुनील बघेल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित करने की देहाती नालसी उसी दिनांक : 29/03/2014 को घटना के लगभग 03 घण्टे पश्चात् सुबह 09:30 बजे फरियादी संतोष द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 के चालक

के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक : 29/03/2014 को ही शाम 06:20 बजे घटनास्थल से मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.ई/9103 हीरो होण्डा सी.डी.डीलक्स, मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./9340 हीरो होण्डा स्पलेंडर एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.आर./4304 अपाचे जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 29/03/2014 को आरोपी रामज्ञान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं दिनांक : 29/03/2014 को ही आरोपी रामज्ञान द्वारा पेश करने पर वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दुर्घटनाकारित करने वाले जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी संतोष, साक्षी हरेन्द्र उर्फ हरविन्दर बघेल, अतुल जाटव, रवि बघेल एवं नबाव सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रामज्ञान के विरुद्ध धारा 279, 337 "02 काउण्ट", 338 "02 काउण्ट" एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी रामज्ञान ने दिनांक :- 29/03/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे हरीराम की कुईयाँ चौराहा के आगे भिण्ड की ओर भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत अतुल एवं नबाव सिंह को टक्कर मारकर उपहति एवं फरियादी संतोष एवं हरविन्दर उर्फ हरेन्द्र को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक लालू बघेल एवं सुनील बघेल को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी संतोष सागर अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 29/03/2014 की सुबह 06:30 बजे की है। उक्त दिनांक को वह अतुल के साथ मोटर साईकिल से ग्वालियर से भिण्ड जा रहा था। वह भिण्ड पेपर देने के लिए जा रहा था, उसके अलावा लालू, सुनील, छोटू, हरेन्द्र एवं नबाव भी थे, वह लोग भी मोटर साईकिल से जा रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि जब वह लोग हरीराम की कुईयों चौराहा मालनपुर के थोड़ा आगे निकले, तब भिण्ड की तरफ से एक गाड़ी टाटा लोडिंग वाहन क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ./3426 था, जिसका चालक उसे लापरवाही से चलाकर लाया और उसने उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, मोटर साईकिल अतुल चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसे घुटने में, पैर के अंगूठे में और शरीर में अन्य जगह चोटें आई थी। इसके अलावा बाकी सभी लोगों को चोटें आई थी, दुर्घटना में लालू एवं सुनील की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटनास्थल पर 108 एम्बूलेंस द्वारा उन सभी को ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल ले जाया गया था। मालनपुर थाने से पुलिस भी उसके साथ गई थी, जहाँ उसने देहाती नालसी की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाली टाटा लोडिंग के चालक को देख लिया था। वह चालक को सामने आने पर पहचान सकता है। साक्षी से दुर्घटनाकारित करने वाले चालक की पहचान के संबंध में पूछे जाने पर उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपी रामज्ञान की तरफ इशारा कर व्यक्त किया कि दुर्घटना के समय यही व्यक्ति दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में संतोष अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने हॉस्पिटल में पूछताछ के दौरान पुलिस को यह बता दिया था कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले व्यक्ति को सामने आने पर पहचान लूंगा, यदि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त बात ना लिखी हो तो वह इसका कारण

नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि संतोष अ.सा.01 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में संतोष अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने देहाती नालसी प्र.पी.01 को हस्ताक्षर करने के पूर्व पढ़ लिया था और उसमें यह बात लिखी थी कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले व्यक्ति को सामने आने पर पहचान लेगा। यदि देहाती नालसी प्र.पी.01 में उक्त बात ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि देहाती नालसी प्र.पी.01 में उक्त तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि देहाती नालसी प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व उसकी आहत अतुल, हरविन्दर, नबाव सिंह एवं छोटू से बातचीत हुई थी, उन लोगों ने उसे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस प्रकार मात्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी रामज्ञान को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में पहचान लेना, परन्तु देहाती नालसी प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान कद-काठी एवं हुलिये संबंधी किसी तथ्य का कोई उल्लेख ना होना, फरियादी संतोष अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को एक कमजोर किस्म का साक्ष्य होना दर्शित करते हैं और ऐसे साक्ष्य से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान स्थापित नहीं होती है।

10. आहत/साक्षी हरेन्द्र सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 29 मार्च 2014 के सुबह 06:00 बजे की है। वह लोग हुरावली से भिण्ड कक्षा 10वीं का पेपर देने जा रहे थे, पेपर वह मोटर साईकिल से देने जा रहे थे, जिस पर वह, लालू एवं सुनील बैठे थे। साक्षी आगे कहता है कि मोटर साईकिल लालू चला रहा था। वह लोग मोटर साईकिल से मालनपुर के आगे पहुँचे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका एक्सीडेंट बुलेरो जीप से हुआ था, जिसका नम्बर एम.पी.09/जी.एफ./3426 था, जीप लहराती हुई भिण्ड तरफ से आ रही थी, उसने उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त जीप रामज्ञान चला रहा था, जो न्यायालय में उपस्थित है। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसका सीधा पैर तीन जगह से टूट गया था एवं उसके सीधे हाथ में चोट आई थी, जो टूट गया था और उसका बाया पैर जांघ के पास से टूट गया था और उसके साथ सुनील एवं लालू जो उसके साथ मोटर साईकिल पर थे, वह दोनों की मृत्यु हो गई थी। फिर नबाव उसे बिरला हॉस्पिटल ईलाज के लिए ले गया था, उसके बाद उसका ईलाज ग्रोवर हॉस्पिटल ग्वालियर में भी हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

11. प्रथमतः तो आहत हरेन्द्र अ.सा.02 उसका एक्सीडेंट किसी बुलेरो जीप से होना दर्शित कर रहा है, जबकि प्रकरण में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में जब्तशुदा वाहन टाटा कम्पनी का लोडिंग वाहन है, ना कि बुलेरो जीप। इस प्रकार इस वावत् हरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जब्ती

पत्रक प्र.पी.16 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में हरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि वह दिनांक : 29/03/2014 से पहले आरोपी रामज्ञान को नहीं जानता था, उसे घटना के पश्चात् एफआईआर में रामज्ञान के नाम का उल्लेख होने से रामज्ञान का नाम पता चला। उसने उक्त एफआईआर घटना के एक महीने बाद मामा के लड़के कमल सिंह द्वारा दिखायें जाने पर, देखी एवं पढ़ी थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की देहाती नालसी प्र.पी.01 अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वावत् हरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं देहाती नालसी प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में हरेन्द्र अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को एवं न्यायालय में आरोपी का नाम मामा के लड़के कमल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बताया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में ही हरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि पुलिस ने उससे घटना के बारे में कभी कोई पूछताछ नहीं की, इसलिए उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसने घटना कारित करने वाले ड्रायवर को देखा था, अथवा नहीं। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाली गाड़ी का नम्बर भी पुलिस को नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को इस आशय की कोई जानकारी नहीं दी थी कि वह आरोपी रामज्ञान को पहले से जानता, पहचानता है। यदि उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में ए से ए भाग के मध्य उसके रामज्ञान को पहचानने संबंधी तथ्य लिखे हो, तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान के संबंध में हरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान संबंधी तथ्य को संदेहास्पद बनाते हैं।

12. आहत/साक्षी नबाव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/04/2016 से लगभग तीन साल पहले की होकर 29 मार्च की है। साक्षी आगे कहता है कि वह और रवि ग्वालियर से मेहगांव के आगे कक्षा दसवीं का हिन्दी का पेपर देने जा रहे थे। दूसरी बाइक पर लालू, सुनील एवं हरविन्दर थे। जैसे ही वह लोग हरीराम की कुईया के पास पहुँचे, तो सामने से एक लोडिंग टैक्सी वाहन लहराते हुये आया, उसने लालू की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, उक्त लोडिंग टैक्सी वाहन का नम्बर एम.पी.09/जी.एफ./3426 था। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को देख लिया था, जो कि न्यायालय में उपस्थित है। एक्सीडेंट में लालू की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी एवं सुनील अस्पताल में खत्म हो गया था। दुर्घटना में हरेन्द्र के दोनों पैरों एवं हाथ में चोट आई थी तथा उसके दाये पैर की जाँघ में चोट आई थी। उसने अपनी चोटों का

ईलाज कराया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका उसके सामने बनाया बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नबाव अ.सा.03 का कहना है कि दुर्घटना के दौरान उसकी गाड़ी पीछे से लालू की गाड़ी में घुस गई थी, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी को दुर्घटना के पश्चात् भागते हुये देखा था। उसके पहले वह आरोपी को नहीं जानता था। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी को पाँच फुट दूरी से भागते हुये देखा था और उसे दुर्घटनाकारित करने वाले चालक का नाम किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया था। साक्षी नबाव अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब वह आरोपी को पहले से नहीं जानता था और उसे किसी भी व्यक्ति ने आरोपी का नाम नहीं बताया था, तब उसके द्वारा उसके पुलिस कथन प्र.डी.03 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान का नाम किसके बताये अनुसार लेखबद्ध कराया था। इस प्रकार इस वावत् नबाव अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में नबाव अ.सा.03 का कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.03 देते समय यह बता दिया था कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को सामने आने पर पहचान सकता है, अगर उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.03 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि नबाव अ.सा.03 के पुलिस कथन प्र.डी.03 में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान के संबंध में साक्षी नबाव अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

14. साक्षी रवि बघेल अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 29/03/2014 की सुबह 06:00 बजे खुरावली से भिण्ड पेपर देने मोटर साईकिल से जा रहा था। उसकी मोटर साईकिल नबाव चला रहा था। वह लोग मालनपुर पहुँचे, उनके अलावा एक मोटर साईकिल पर लालू एवं हरेन्द्र भी उनके साथ पेपर देने भिण्ड जा रहे थे, तभी लालू बघेल वाली गाड़ी का मालनपुर पर एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी आगे कहता है कि एक्सीडेंट महेन्द्रा मैक्स बड़ी गाड़ी से हुआ था, जिसमें भैंस बगैरा बंध कर आती है। साक्षी आगे कहता है कि उसे गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम। गाड़ी वाले ने ओवरटैक किया था, उसे गाड़ी चालक का नाम भी नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में गाड़ी का नम्बर एम.पी.09/जी.एफ./3426 लेख कराया था एवं उसके चालक का नाम रामज्ञान पुत्र नादरी जाटव था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि ड्रायवर ने गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर

टक्कर मारी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.19 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान एवं दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप वाहन क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ./3426 की पहचान के संबंध में रवि अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। उल्लेखनीय है कि यह साक्षी भी आरोपित दुर्घटना महेन्द्रा मैक्स नामक किसी बड़ी गाड़ी से होना दर्शित कर रहा है, जबकि अभियोजन कथा के अनुसार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन टाटा कम्पनी का लोडिंग वाहन है। इस प्रकार इस वावत् अभियोजन साक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है कि आरोपित दुर्घटना टाटा लोडिंग वाहन से हुई थी, अथवा बुलेरो जीप से या महिन्द्रा कम्पनी के मैक्स नामक वाहन से।

15. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 29/03/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक क्रमांक 03 इन्दल सिंह ने देहाती नालसी एएसआई राधेश्याम जाट द्वारा लेख की अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. की लाकर बिरला अस्पताल ग्वालियर से पेश करने पर उसके द्वारा देहाती नालसी पर से असल अपराध क्रमांक 75/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस देहाती नालसी पर से उसके द्वारा एफआईआर लेखबद्ध की गई थी, उस देहाती नालसी में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के नाम एवं उसके हुलिये का कोई उल्लेख नहीं था।

16. अभियोजन साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 29/03/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर पर फरियादी संतोष यादव ने अपराध क्रमांक 0/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. की देहाती नालसी वाहन क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ./3426 के चालक के खिलाफ की थी कि उक्त दिनांक को वह, घायल अतुल, हरविन्दर, नबाव सिंह, छोटू, मृतक लालू बघेल एवं सुनील बघेल जो हॉस्पिटल बिरला में मौजूद थे, सभी लोग पेपर देने जा रहे थे। हरीराम की कुर्छी के पास चालक ने तेजी एवं लापरवाही से टक्कर मारने के दौरान एक्सीडेंट में सभी को चोटें आई एवं मौके पर लालू बघेल एवं सुनील बघेल की मृत्यु हो गई, फरियादी संतोष के बताये अनुसार देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् मृतक सुनील बघेल एवं लालू बघेल का सफीना फार्म जारी किया गया। लाश पंचायतनामा तैयार

किया गया, बाद पी.एम. फार्म तैयार कर शवों को पी.एम. हेतु रवाना किया गया, सफीना फार्म क्रमशः प्र.पी.011 मृतक सुनील का एवं प्र.पी.13 मृतक लालू बघेल का बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि मृतक सुनील बघेल का लाश पंचायतनामा प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक लालू बघेल का लाश पंचायतनामा प्र.पी.14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् असल अपराध क्रमांक 75/2014 की एफआईआर प्राप्त कर साक्षी नबाव सिंह की निशानदेही में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी नबाव सिंह, रवि बघेल, संतोष जाटव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी रामज्ञान जाटव पुत्र महावीर जाटव, निवासी : समता नगर मालनपुर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.15 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी से वाहन क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ./3426 को समक्ष साक्षीगण जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.16 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक 04/05/2014 को साक्षी हरेन्द्र बघेल एवं अतुल जाटव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 का इजाफा किया गया।

17. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक राधेश्याम अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी संतोष जाटव ने उसे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम नहीं बताया था, ना ही उसने यह बताया था कि वह वाहन चालक को सामने आने पर पहचान लेगा। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक राधेश्याम अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि साक्षी हरेन्द्र अ.सा.02 ने उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था। जबकि हरेन्द्र अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उक्त ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इन्कार किया है। इस प्रकार इस वावत् विवेचक राधेश्याम अ.सा.07 एवं हरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में विवेचक राधेश्याम अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने वाहन मालिक का प्रमाणीकरण लेने की दिनांक 12/05/2014 के पूर्व दिनांक : 29/03/2014 को आरोपी रामज्ञान को गिरफ्तार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि विवेचक राधेश्याम द्वारा आरोपी रामज्ञान को उक्त वाहन मालिक का प्रमाणीकरण दिनांक : 12/05/2014 लेखबद्ध किये जाने के पूर्व ही दिनांक : 29/03/2014 को गिरफ्तार किया जा चुका था। ऐसी दशा में जबकि साक्षीगण रवि बघेल अ.सा.09, नबाव सिंह अ.सा.03 द्वारा उनके पुलिस कथनों में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन



चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान का नाम दर्शित कर दिया गया था और उसे दिनांक : 29/03/2014 को ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था, तब विवेचक राधेश्याम द्वारा दिनांक : 12/05/2014 को वाहन मालिक का प्रमाणीकरण क्यों लिया गया, इसका कोई कारण विवेचक राधेश्याम अ.सा.07 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के प्रकार तथा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी रामज्ञान की पहचान के संबंध में अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभाषपूर्ण एवं संदेहास्पद है।

18. डॉ.एस.के.महेश्वरी अ.सा.04, डॉ.पी.सी.सक्सैना अ.सा.05 एवं डॉ. हीरालाल माझी अ.सा.08 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक लालू बघेल एवं सुनील बघेल एवं आहतगण अतुल, नबाव सिंह, संतोष एवं हरविन्दर उर्फ हरेन्द्र के मेडीकल परीक्षण एवं शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षीगण होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.07, मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.10 एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.17 एवं प्र.पी.18 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रामज्ञान ने दिनांक : 29/03/2014 को सुबह लगभग 06:30 बजे हरीराम की कुईयों चौराहा के आगे भिण्ड की ओर भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर अतुल एवं नबाव सिंह को टक्कर मारकर उपहति एवं फरियादी संतोष एवं हरविन्दर उर्फ हरेन्द्र को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं मृतक लालू बघेल एवं सुनील बघेल को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

### **अंतिम निष्कर्ष**

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रामज्ञान के विरुद्ध धारा 279, 337 "02 काउण्ट", 338 "02 काउण्ट" एवं 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रामज्ञान को भा.द.सं. की धारा 279, 337 "02 काउण्ट", 338 "02 काउण्ट" एवं 304 ए "02 काउण्ट" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

22. प्रकरण में जब्तशुदा टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी.09/जी.एफ/3426 एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.ई/9103 हीरो होण्डा सी.डी.डीलक्स, मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./9340 हीरो होण्डा स्पलेंडर एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.आर./4304 अपाचे अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में उनके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद